उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-1

सं0-122/2018/सं0वि0क0नि0-1423/11-2018-973(24)/18

लखनऊः दिनांकः 23 अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

श्री पंकज कुमार-।।, डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, झांसी द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित होटल जहांनुमा रिट्रीट में मारपीट कर महिला अधिकारी श्रीमती श्वेता सरन वर्मा से दुष्कर्म किये जाने के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, भोपाल (दक्षिण) मध्य प्रदेश के पत्रांक-पुअ/भो(द)/री/2223/2018 दिनांक 09.08.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार फरियादिया श्रीमती श्वेता सरन वर्मा की रिपोर्ट पर आरोपी श्री पंकज कुमार-।। के विरूद्ध थाना कमलानगर, भोपाल में अपराध क्रमांक-526/18 अन्तर्गत धारा-294, 323 तथा 376 ता0हि0 पंजीकृत होने के कारण आरोपी श्री पंकज कुमार-।। को दिनांक 06.08.2018 को गिरफ्तार किया गया। अतः उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4(3)(क) में विहित प्राविधान के अन्तर्गत श्री पंकज कुमार-।।, डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, झांसी को दिनांक 06.08.2018 से डीम्ड निलम्बित मानते हुए निलम्बित किया जाता है।

2- अतः श्री पंकज कुमार-।।, तत्का0 डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, झांसी द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित होटल जहांनुमा रिट्रीट में मारपीट कर महिला अधिकारी श्रीमती श्वेता सरन वर्मा से दुष्कर्म किये जाने तथा प्रकरण में थाना कमलानगर, भोपाल में अपराध क्रमांक-526/18 अन्तर्गत धारा-294, 323 एवं 376 ता0हि0 पंजीकृत होने के कारण आरोपी श्री पंकज कुमार-।। के दिनांक 06.08.2018 को गिरफ्तार होने व आरोपी द्वारा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-3 का उल्लंघन करने के कारण आरोपी श्री पंकज कुमार-।। के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के अन्तर्गत अनुशासनिक जाॅच संस्थित की जाती है।

3- निलम्बन की अवधि में श्री पंकज कुमार-।। को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मॅहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मॅहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनाॅक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जबकि श्री पंकज कुमार-।। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

5- निलम्बन अवधि में श्री पंकज कुमार-।। कार्यालय वाणिज्य कर उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

श्री राज्यपाल की ओर से,

मो0 मारूफ

विशेष सचिव।

संख्याः सं0वि0क0नि0-1-1423(1)/11-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ को श्री पंकज कुमार-।।, तत्का0 डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, झांसी को निलम्बन एवं अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने संबंधी आदेश (मूल प्रति सहित) इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को श्री पंकज कुमार-।। को तामील कराते हुए प्राप्ति के दिनाॅक एवं हस्ताक्षर सहित तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. श्री पंकज कुमार-।।, डिप्टी कमिश्नर (निलम्बित) द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मो0 मारूफ

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।